F. No. 15-71/1/NMA/HBL -2021
Government of India
National Monuments Authority
Ministry of Culture

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Sahasralinga Tank, Bhubaneswar, District –Khurda, Odisha" have been prepared by the Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. In terms of Rule 18(2) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the above proposed Heritage Bye-Laws are uploaded on the following websites for inviting objections or suggestions from the Public:

a) National Monuments Authority **www.nma.gov.in**
b) Archaeological Survey of India **www.asi.nic.in**
c) Archaeological Survey of India, Bhubaneswar Circle **www.asibbscircle.in**

2. Persons having any objections or suggestions may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi -110001 or mail at the email ID **hbl-section@nma.gov.in** latest by 15th July, 2021. The person making objections or suggestions should also give his name and address.

3. In terms of Rule 18(3) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the Authority may decide on the objections or suggestions so received before the expiry of the period of 30 days i.e. 15th July, 2021, in consultation with Competent Authority and other Stakeholders.

(N. T. Paite)
Director, NMA
15.06.2021

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

'सहस्रलिंग सरोवर, भुवनेश्वर शहर, जिला-खुर्दा ओडिशा के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Byelaws for **Sahasralinga Tank, Bhubaneswar City, District- Khurda Odisha**

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक "**सहस्रलिंग सरोवर**, **भुवनेश्वर शहर**, **जिला-खुर्दा ओडिशा**" के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि जिन्हें "भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति न्यास" (इनटेक) के साथ परामर्श करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य का संचालन), नियमावली, 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, को सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा helpdesk.nma@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

उक्त प्रारूप उप विधि के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि से पहले प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

धरोहर उप-विधि

अध्याय I

प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

(i) इन उप-विधियों को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक सहस्रलिंग सरोवर, भुवनेश्वर शहर, जिला-खुर्दा ओडिशा के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि कहा जाएगा।

(ii) ये स्मारक की सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.1 परिभाषाएं :-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं-

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आरक्षित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो उसे बाड़ से घेरने या आरक्षित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से निम्नतर पद (रैंक) का नहीं है;

(ङ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त के रैंक से नीचे न हो या समतुल्य रैंक का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी शामिल है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;]

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक- उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूलरूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को धीमा करना है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

(2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 :

2.0. प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की पृष्ठभूमि:

इस अधिनियम के अनुसार, विरासत उप-विधियों का उद्देश्य केन्द्रतया संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं से इसके संरक्षण के संबंध में 300 मीटर के भीतर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक हस्तक्षेप के बारे में मार्गदशन देना है। अधिनियम में यह भी उल्लेख किया है कि स्मारकों के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में ए.एस.आई. द्वारा अपेक्षित सुविधाओं को छोड़कर, निर्माण के लिए अनुमति नहीं होगी। तथापि, विनियमित क्षेत्र में निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अथवा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुशंसा के पश्चात अनुमति दी जाएगी और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए अनुमति इस शर्त के अध्यधीन दी जाएगी कि भवन और संरचना 1992 से पूर्व बनाई गई थी।

2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध: विरासत उप-नियमों से संबंधित अधिनियम के उपबंध प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 20ड. का उप खण्ड 1 से 7 और प्राचीन स्मारक और पुरातात्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपनियम बनाना और सक्षम प्राधिकरण के अन्य कार्य) नियम 2011 का नियम 22 का उप-नियम 01 से 09 में ए.एस.आई. द्वारा अधिसूचित केन्द्रतया संरक्षित स्मारकों के लिए विरासत उप-विधि बनाने के लिए विर्निर्दिष्ट किया है। नियम में विरासत उप-विधि तैयार करने के लिए मापदण्ड का प्रावधान किया गया है।

2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां

प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग (1 और 2) के अनुसार, कोई भी स्वामी जो ऐसे किसी भवन अथवा संरचना जो 16 जून से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था तथा वह इसमें ऐसे मरम्मत या पुनरुद्धार कार्य करना चाहता है अथवा विनियमित क्षेत्र में स्थित ऐसे भवन या संरचना में निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या पुनरुद्धार करना चाहते हैं तो उसे सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करने का अधिकार है और वह सक्षम प्राधिकरण द्वारा मुहैया कराए गए अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का पालन करने हेतु पूरी तरह से जिम्मेदार है।

अध्याय III

केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक - सहस्रलिंग टैंक, भुवनेश्वर शहर, जिला-खुर्दा ओडिशा का स्थान एवं अवस्थिति

3.0 स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति

- 20° 14'18.58" उत्तरी अक्षांश, 85°50' 06.87" पूर्वी देशांतर के जीपीएस निर्देशांक पर स्थित है।
- सहस्रलिंग सरोवर मुहल्ला गौरी नगर, प्राचीन शहर भुवनेश्वर शहर में - भुवनेश्वर शहर से 8.3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है।
- यह स्थान ज्ञानी जैल सिंह रोड से जुड़ा हुआ है जो आगे पुरी-कटक राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच-203 से जुड़ा है।
- निकटतम रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर है जो इस मंदिर से पूर्वोत्तर दिशा में 4.7 किलोमीटर (पुरी रोड से होकर) की दूरी पर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 3.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

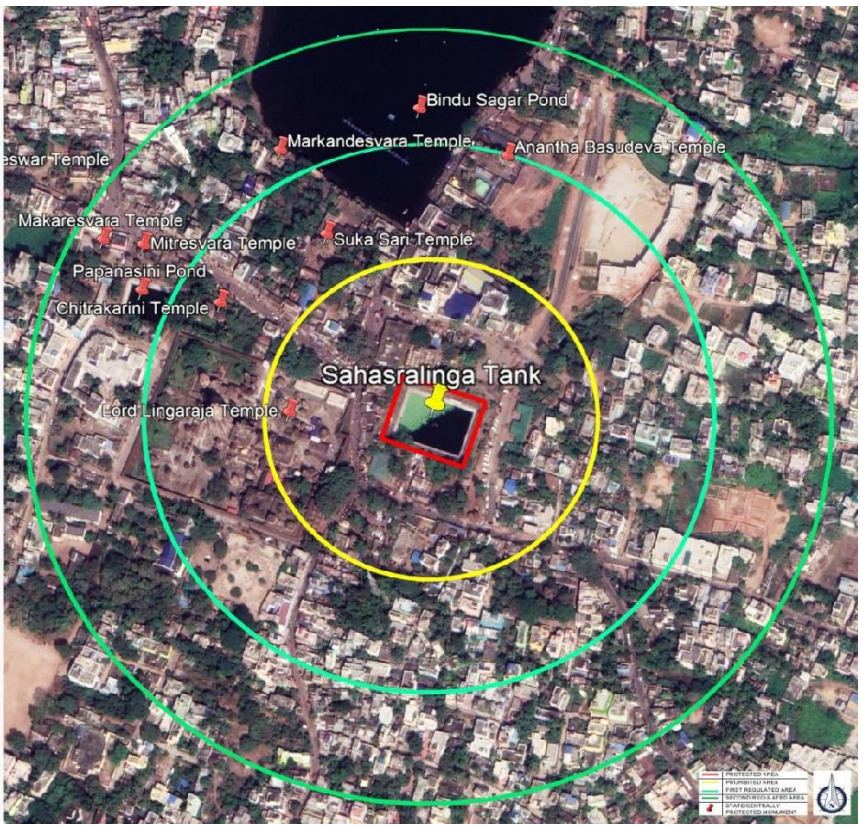

मानचित्र 1. सहस्रलिंग टैंक, भुवनेश्वर शहर, स्थान- भुवनेश्वर, जिला - खुर्दा (पुरी), ओडिशा की

अवस्थिति दर्शाता मानचित्र

3.1 संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक सहस्रलिंग टैंक, भुवनेश्वर शहर, जिला-खुर्दा, ओडिशा की संरक्षित सीमाएं **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती हैं।

3.1.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकार्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

सहस्रलिंग सरोवर, भुवनेश्वर शहर, जिला-खुर्दा, ओडिशा की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक-II** पर देखी जा सकती है।

3.2 स्मारक का इतिहास :

इसे सहस्रलिंग सरोवर या एक हजार लिंगों का सरोवर कहा जाता है। इसे देवी पदहारा भी कहा जाता है। मूल रूप से, इसके चार तरफ कई छोटे-छोटे पीढा मंदिर थे। प्रत्येक के केंद्र में एक लिंग है। वर्तमान में, सत्ताईस छोटे मंदिर संरक्षण की अच्छी स्थिति में हैं, जिनमें से केवल पांच लिंगों की पूजा की जा रही है। सरोवर में चारों ओर सीढ़ियां हैं और इन्हें भगवान लिंगराज के अनुष्ठानिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसे ग्यारहवीं - बारहवीं शताब्दी ईस्वी सन् का माना जाता है।

3.3 स्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री इत्यादि) :

यह सरोवर आयताकार है और इसमें पश्चिम की तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। इस सरोवर के चारों ओर से कम ऊँचाई का रद्देदार अनगढ़ चिनाई आहाता दीवार है। किसी व्यक्ति को काफी चौड़ाई वाले तल तक सोलह कदमों की सीढ़ियों से सरोवर में प्रवेश करना होता है। दीवार के चारों ओर दीवार के साथ-साथ 100 से अधिक छोटे-छोटे मंदिर थे। प्रत्येक मंदिर की उँचाई 1.52 मीटर है और छत पिरामिडनुमा है। वर्तमान में, सतत्तर छोटे मंदिर मौजूद हैं और सभी के परिरक्षण की स्थिति अच्छी हैं।

3.4 वर्तमान स्थिति

3.4.1 स्मारक की स्थिति - स्थिति का मूल्यांकन

यह स्मारक परिरक्षण की अच्छी स्थिति में है।

3.4.2प्रतिदिन आने वाले एवं कभी- कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या:

इस मंदिर में प्रतिदिन 100-150 दर्शक/श्रद्धालु आते हैं।

अध्याय - IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.0 विद्यमान क्षेत्रीकरण

भुवनेश्वर विकास क्षेत्र विस्तृत विकास योजना, 2030 के अनुसार: गौतमनगर मौजा (क्षेत्र संख्या 18: पुराना भुवनेश्वर) के लिए प्रस्तावित भूमि उपयोग में - सहस्रलिंग सरोवर को जल निकाय उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि - तालाब, झीलें और लैगून। साथ ही, सरोवर के पास के आसपास के क्षेत्र को भी "विशेष धरोहर क्षेत्र" के तहत रखा गया है, जिसे - "विशिष्ट धरोहर क्षेत्र के अंदर व्यावसायिक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है"।

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (योजना और भवन मानक) विनियमन 2008 में, यह कहा गया है कि विरासत भवन/स्मारक और धार्मिक स्थान को "जल निकाय उपयोग क्षेत्र" (भाग III, 25, तालिका-2) में रखा गया है; जबकि ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र को "विशेष उपयोग क्षेत्र (भाग III, 25, तालिका-2) में रखा गया है। राज्य सरकार के अधिनियम और नियमों में विशिष्ट रूप से स्मारक के लिए कोई क्षेत्रीकरण नहीं है।

4.1 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश

इन्हें **अनुलग्नक - III** में देखा जा सकता है।

अध्याय - V

प्रथम अनुसूची, नियम 21(1)/
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकार्ड में निर्धारित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना।

5.0 सहस्रलिंग सरोवर, भुवनेश्वर शहर, जिला - खुर्दा, ओडिशा की सर्वेक्षण योजना:

इसे **अनुलग्नक-IV** में देखा जा सकता है।

5.1 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण :

5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण :

- स्मारक का कुल संरक्षित क्षेत्र 4367.389 वर्गमीटर है
- स्मारक का कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 62228.353 वर्गमीटर है

- स्मारक का कुल विनियमित क्षेत्र 366489.486 वर्गमीटर है

मुख्य विशेषताएं

- प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में ज्यादातर रिहायशी क्षेत्र है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र भी है जैसे मंदिर, बाजार परिसर, इत्यादि।
- अनंत बासुदेव मंदिर और बिन्दु सागर झील इस टैंक के उत्तरी दिशा में अवस्थित है और इस सरोवर की पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में लिंगराज मंदिर अवस्थित है।
- साथ ही, स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र के चारों ओर शहरी सड़क, गाड़ियों के मार्ग, पैदल चलने के रास्ते भी हैं।

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर-** उत्तर दिशा में शादी-विवाह केंद्र, धर्मशाला जैसे व्यावसायिक भवन हैं। इस दिशा में शुकुतेश्वर मंदिर, तृथेश्वर मंदिर, कंक्रीट सड़क (गंगा जमुना सड़क), गाड़ी सड़क, कुछ रिहायशी भवन, ट्रांसफॉर्मर और बिजली के खंभों के साथ 11 केवी विद्युत लाइनें भी मौजूद हैं।
- **दक्षिण -**सहस्रलिंग सरोवर के दक्षिण पश्चिम कोने पर लिंगराज मंदिर परिसर अवस्थित है। दक्षिणी दिशा में ज्ञानी जैल सिंह रोड नामक पक्की सड़कें, लिंगराज मंदिर के लिए कार पार्किंग, सुरक्षा दीवार, लिंगराज मंदिर कार्यालय, लिंगराज पुलिस स्टेशन, बाजार, रिहायशी भवनें, मंदिर और 240 वोल्ड बिद्युत लाइन मौजूद हैं।
- **पूर्व -**सरोवर के उत्तरी पूर्व दिशा में, गंगा जमुना मंदिर और तालाब है, एक बाजार परिसर है, रिहायशी भवनें भी इस दिशा में अवस्थित हैं। पूर्वी छोर पर एक मोहाराना लेन है जो कि एक पक्की सड़क है और साथ ही खंभों के साथ 240 वोल्ट की विद्युत लाइनें मौजूद हैं।
- **पश्चिम -**इस सरोवर की पश्चिमी दिशा में लिंगराज मंदिर परिसर अवस्थित है और दक्षिण पश्चिमी दिशा में एक कंक्रीट सड़क (बिन्दु सागर रोड) है, जो चिनाई नालों के साथ पक्की सड़क से जोड़ती है और साथ ही खंभों के साथ 11 केवी की विद्युत लाइनें मौजूद हैं।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर -इ**स सरोवर की उत्तरी दिशा में अनंत बासुदेव मंदिर और बिन्दु सागर तालाब अवस्थित है। चिनाई नाले के साथ एक कंक्रीट सड़क, 240 वोल्ट विद्युत

लाइन, ह्यूम पाइप पुलिया 0.5 मीटर और एक नाला उत्तर से पूर्व दिशा में जाता है, कुछ रिहायशी भवनों, मंदिर और बाजार परिसर को इस स्मारक के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी दिशा में देखा जा सकता है।

- **दक्षिण-** इस दिशा में रिहायशी भवन और बाजार, स्कूल और मंदिर मौजूद हैं।
- **पूर्व -**मुख्यत: रिहायशी क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। चिनाई नाला के साथ पक्की सड़क, कुआं, टेलिफोन टॉवर भी इस टैंक की पूर्वी दिशा में अवस्थित है।
- **पश्चिम -**सहस्रलिंग टैंक के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में लिंगराज मंदिर परिसर अवस्थित है। इस दिशा में बी एम उच्च विद्यालय, बीएमसी मेडिकल, पापानासिनी मंदिर और तालाब, चिनाई नाले के साथ पक्की सड़क, खंभों के साथ विद्युत लाइन भी मौजूद हैं।

5.1.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर :** सहस्रलिंग टैंक की उत्तरी दिशा में, पेड़ों के साथ कुछ खुली जगह, जैसे पार्क, मैदान, इत्यादि मौजूद हैं।
- **दक्षिण :** इस दिशा में कुछ खुले भूखंड मौजूद हैं। यह क्षेत्र रिहायशी भवनों, बाजारों, मंदिरों और पुलिस स्टेशन से आवृत्त है।
- **पूर्व :** सहस्रलिंग के साथ साथ कुछ खुले भूखंड मौजूद हैं।
- **पश्चिम :** पेड़ों से आवृत्त कुछ खुले भूखंड मौजूद है।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर :** यह एक निचला क्षेत्र है जो दलदली प्रकृति का है और स्मारक के उत्तर पूर्व की दिशा में गड्ढा हे। बिन्दु सागर ताल इस स्मारक की उत्तरी दिशा में मौजूद है।
- **दक्षिण :** इस दिशा में पेड़ों के साथ कुछ खाली भूखंड मौजूद हैं।
- **पूर्व :** इस दिशा में कुछ हरित पट्टियां मौजूद हैं क्योंकि यह करीब करीब पूरी तरह से रिहायशी आधुनिक भवन, बाजार और मंदिर मौजूद हैं। उत्तर पूर्वी दिशा में, दलदली क्षेत्र मौजूद है।
- **पश्चिम :** इस दिशा में हरित पट्टियों और पेड़ों के साथ-साथ खुली जगहें देखी जा सकती हैं।

5.1.4 परिचालन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र - सड़क, फुटपाथ आदि

इस स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित, दोनों सीमाओं में, पक्की सड़क, संकरी सड़क, फुटपाथ मौजूद हैं। इसके अलावा, कई सड़क चौराहे जैसे लिंगराज रोड और

ज्ञानी जैल सिंह रोड मौजूद हैं। इसके अलावा, स्मारक के संरक्षित परिसीमा के अंदर मार्ग मौजूद हैं।

5.1.5 भवनों की ऊँचाई (क्षेत्र वार) :

- **उत्तर** : अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर है
- **दक्षिण** : अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर है
- **पूर्व** : अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर है
- **दक्षिण पश्चिम** : अधिकतम ऊंचाई 7 मीटर है

5.1.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के अंदर राज्य द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन यदि उपलब्ध हों:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में अन्य मंदिर मौजूद हैं जिसमें भवानीशंकर मंदिर, सुखमेश्वर मंदिर, स्वर्णजलेश्वर मंदिर, मोहिनी मंदिर और मार्केडेश्वर मंदिर शामिल हैं।

5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं :

परिसर में कुआं, नलकूप और मार्ग मौजूद हैं। स्मारक के भीतर आगंतुकों के लिए कोई शौचालय खंड नहीं है।

5.1.8 स्मारक तक पहुंच :

इस स्मारक तक एक पक्की सड़क (मैटल्ड रोड) (ज्ञानी जैल सिंह रोड) के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और सड़क द्वारा इसके मुख्य द्वार तक पहुंचा जा सकता है।

5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं [जलापूर्ति, वर्षा जल निकास नाला (स्टोर्म वाटर ड्रेनिज), जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि] :

यहां जलापूर्ति और जल निकासी जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

5.1.10 इस क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण

क्षेत्रीकरण का उल्लेख निम्नलिखित के अनुसार किया गया है:

i. भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (आयोजना एवं भवन मानदंड), विनियम-2008
ii. नगर योजना एवं सुधार न्यास अधिनियम, 1956
iii. ओडिशा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

अध्याय VI

स्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.0 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व :

इसे सहस्रलिंग सरोवर या हजार लिंगों का सरोवर कहा जाता है। इसे देवी पदाहारा भी कहा जाता है। मूल रूप से, इसके चार तरफ कई छोटे-छोटे पीढ़ा मंदिर थे। प्रत्येक के केंद्र में एक लिंग है। वर्तमान में, सतत्तर छोटे मंदिर संरक्षण की अच्छी स्थिति में हैं, जिनमें से केवल पांच लिंगों की पूजा की जा रही है। इस सरोवर में चारों ओर सीढ़ियां हैं और इन्हें भगवान लिंगराज के अनुष्ठानिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसे ग्यारहवीं - बारहवीं शताब्दी ईस्वी सन् का माना जाता है।

6.1 : स्मारक की संवेदनशीलता (उदाहरणार्थ विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि) :

इस स्मारक के चारों ओर कंक्रीट सड़कों और नये निर्माणों सहित शहरी विकास देखा जा सकता है।

6.2 संरक्षित स्मारकों अथवा क्षेत्र से दृश्य एवं विनयमित क्षेत्र से दृश्य:

यह सभी ओर से संरक्षित स्मारक से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्योंकि हाल के दिनों में स्मारक के आस-पास के सभी अतिक्रमणों को हटा दिया गया है और यह विनियमित क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम की ओर से आंशिक रूप से दिखाई देता है।

6.3 पहचान किये जाने वाले भू-प्रयोग :

मंदिर अहाता के निकट के क्षेत्र ज्यादातर रिहायशी और व्यावसायिक हैं। स्मारक के आस-पास के क्षेत्र में कई सार्वजनिक और धार्मिक संरचनाएं हैं।

6.4. संरक्षित स्मारकों के अति□रिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष: इस स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में मौजूद मंदिरों में गंगा जमुना मंदिर, शुकुतेश्वर मंदिर, तीर्थेश्वर मंदिर, बिन्दु सागर झील और मैत्रेश्वर मंदिर शामिल है।

6.5 सांस्कृतिक भूदृश्य :

लिंगराज मंदिर के कुछ अनुष्ठानों के लिए सहस्रलिंग सरोवर का उपयोग किया जाता है। बिंदु सागर झील भी विनियमित क्षेत्र में स्थित है जो कई मंदिरों से घिरा हुआ है।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं और स्मारकों को पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षित करने में सहायक हैं:

स्मारक के विनियमित क्षेत्र में बिन्दु सागर झील, बीएमसी की सीमा के अंतर्गत आता है और इस झील के परिधि क्षेत्र को - पक्के मार्ग, रोशनी, अहाता दीवार/बाड़, प्रवेश नियंत्रण और भूनिर्माण के माध्यम से पुन: विकास हेतु कई प्रस्तावों की पहचान की गई है।

6.7 खुले स्थान तथा निर्मित भवन का उपयोग:

अधिकतर रिहायशी, व्यावसायिक और संस्थागत भवन विनियमित क्षेत्र में अवस्थित हैं। कई मंदिर और कुछ सार्वजनक भवन (शादी - विवाह केंद्र) प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं।

6.8 परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप:

यहां लिंगराज मंदिर की कई धार्मिक गतिविधियां और अनुष्ठान किए जाते हैं क्योंकि यह सरोवर लिंगराज मंदिर से केवल 10 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6.9 स्मारकों एवं विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज :

स्मारक से क्षितिज दिखायी देता है और विनियमित क्षेत्र से आंशिक रूप से दिखायी देता है।

6.10 पारंपरिक वास्तुकला :

कोई पारंपरिक वास्तुकीय संरचना विद्यमान नहीं है।

6.11 स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध विकासात्मक योजना :

यह **अनुलग्नक** -V पर देखी जा सकती है।

6.1.2 भवन संबंधित मानदंड :

(क) स्थल पर निर्माण की ऊँचाई (ममटी, पैरापेट, आदि सहित छत संरचना सहित) : स्मारक के विनियमित क्षेत्र की सभी इमारतों की ऊँचाई 7 मीटर तक सीमित रहेगी।

(ख) तल क्षेत्र : तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) स्थानीय भवन उप-नियमों के अनुसार होगा।

(ग) उपयोग : स्थानीय भवन उपनियम के अनुसार भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं।

(घ) अग्रभाग रचना -

- सामने की सड़क के किनारे या सीढ़ी वाले कूपक (शैफ्ट) के साथ फ्रेंच दरवाजे और बड़े कांच के अग्रभाग की अनुमति नहीं होगी।

(ङ) छत की रचना :-

ढालू छत रचना को अपनाया जा सकता है।

(च) भवन निर्माण सामग्री :-

- स्मारक की सभी सड़क के किनारे सामग्री और रंग में संगति।
- आधुनिक सामग्री जैसे कि एल्यूमीनियम क्लैडिंग, ग्लास ईंट, और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री को बाह्य परिष्करण के उपयोग हेतु अनुमति नहीं होगी।
- पारंपरिक सामग्री जैसे ईंट और पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए।

(छ) रंग :-

बाहरी दीवार का रंग स्मारकों के साथ मिलता जुलता-हल्के रंग का होना चाहिए।

6.1.3 आगंतुक सुख-सुविधाएं एवं साधन :

स्थल (साइट) पर आगंतुक हेतु सुख-सुविधाएं जैसे रोशनी, शौचालय, विवेचना-केन्द्र, कैफेटेरिया, पेयजल, स्मारिका दुकान, रैंप, वाईफाई-, ब्रेल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय-VII
स्थल विशिष्ट संस्तुतियॉ

7.1 स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

(क) सैटबैक

- सामने के भवन का किनारा, मौजूदा सड़क की सीध में ही होना चाहिए। इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) अथवा आंतरिक बरामदों या चबूतरों में न्यूनतम खाली स्थान की अपेक्षा को पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) प्रक्षेपण

- सड़क के 'निर्बाध' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर बाधा मुक्त पथ में किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिंथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों को मौजूदा भवन के किनारे की रेखा से 'निर्बाध' आयामों से जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक

- धरोहर क्षेत्र में साईनेज़ (सूचनापट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिह्नों अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक रासायनिक (सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती; किंतु विशेष आयोजनों/ मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।
- संकेतकों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा न आए और पैदल यात्री की ओर उनकी दिशा हो।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियॉ

- व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पोलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमा के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf में देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument "Sahasralinga Tank, Bhubaneswar City, District- Khurda Odisha", prepared by the Competent Authority, are hereby published as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 TilakMarg, New Delhi or email at hbl-section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2021 of Centrally Protected Monument Rangnath Dole, Sivasagar district, Assam.

(ii) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage by-laws for Conservation of Centrally Protected Monument They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.

(iii) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) The remains of an ancient monument,
(ii) The site of an ancient monument,
(iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means The Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER –II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2. Background of the Act: -The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER - III

Location and Setting of Centrally Protected Monument of Sahasralinga Tank, Bhubaneswar City, District – Khurda, Odisha.

3.0 Location and Setting of the Monument: -

- Sahasralinga Tank is situated at GPS Coordinates 20° 14'18.58" N,85°50' 06.87"E. It is located in Gouri Nagar, locality- old town Bhubaneswar, at 8.3km south from the Bhubaneswar city.

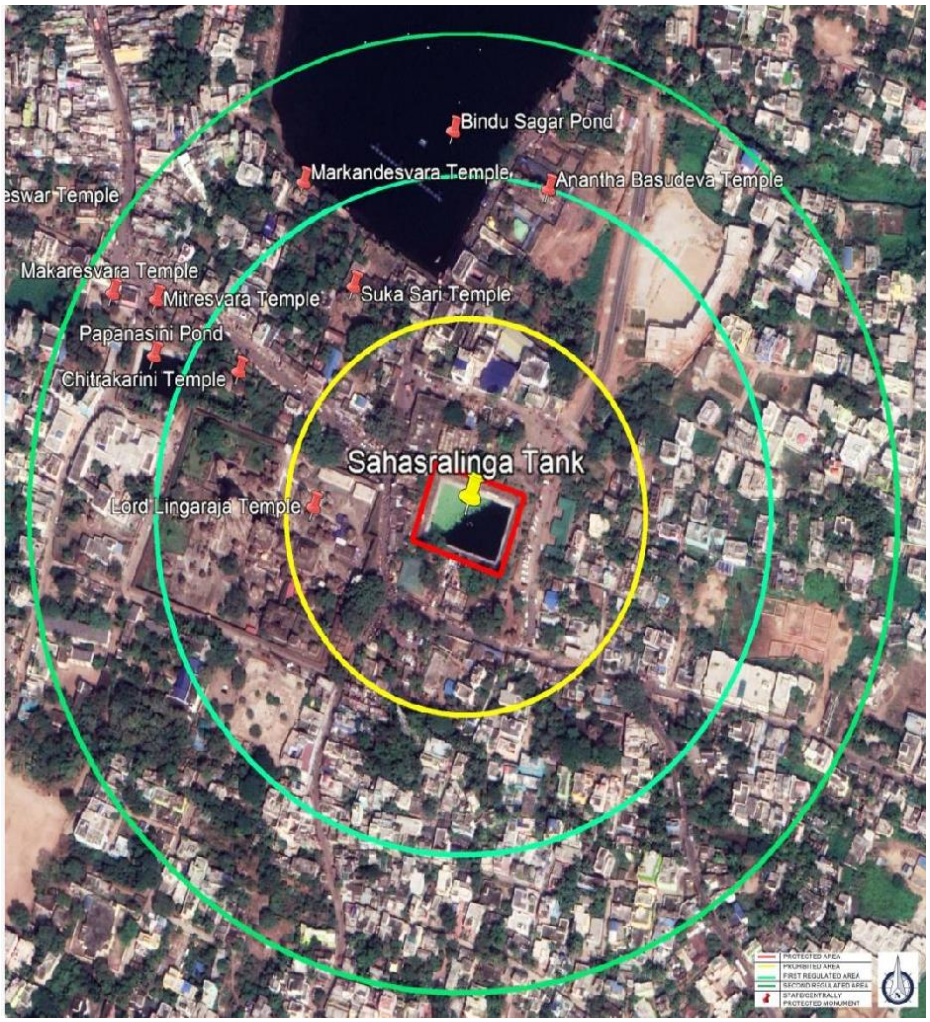

Map 1. Map showing location of Sahasralinga Tank, Bhubaneswar City, Locality- Bhubaneswar, District – Khurda (Puri), Odisha.

- It is well connected to the Giani Zail Singh Road, which further connects to the Puri-Cuttack National Highway, NH 203.
- The nearest railway station is Bhubaneswar, which is 4.7km (via Puri road) to the North-East of the temple. The nearest airport is Biju Patnaik International airport at a distance of 3.9km.

3.1 Protected boundary of the Monument:

The protected boundaries of the Centrally Protected Monument- Sahasralinga Tank, Bhubaneswar City, District- Khurda, Odisha may be seen at **Annexure-I**.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification of Sahasralinga Tank, Bhubaneswar City,District- Khurda, Odishamay be seen at **Annexure-II**.

3.2 History of the Monument:

It is called Sahasralinga Tank or Tank of a thousand *lingas*. It is also called *Devi padahara*. Originally, there were numerous small *pidha* temples, on its four sides. Each has in its center enshrining a *linga*. At present, there are seventy-seven miniature temples in good state of preservation, of which, only five *lingas* have been under worship. The tank has flight of steps all around and built for the ritualistic purpose of Lord Lingaraja. It is ascribedto eleventh - twelfth century CE.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials, etc.):

This tank is rectangular on plan and can be entered from west side. The tank is surrounded by a low compound wall in coursed rubble masonry. One has to enter into the tank by flight of sixteen steps to the floor of considerable width. Inside the wall all around there were more than 100 miniature shrines raised along the wall. Each shrine measures about 1.52m height with pyramidal roof. Presently, seventy- seven miniature temples are in existence and all are in good state of preservation.

3.4 CURRENT STATUS

3.4.1 Condition of the Monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The daily footfall of the monument is 100 -150 visitors.

CHAPTER - IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0Existing zoning:

According to the Comprehensive Development Plan for Bhubaneswar Development Area, 2030: In the proposed land use for Gautamnagar Mouza (Zone No. 18: Old Bhubaneswar) – the Sahasralinga Tank is placed under Water Bodies use zone, specified as – ponds, lakes and lagoons. Also the surrounding area near the tank has been placed under, "Special Heritage Zone", specified as – "Commercial within Special Heritage zone".

In the Bhubaneswar Development Authority (Planning and Building standard) Regulation 2008, it is stated that the heritage building/monument and religious place have been placed in "water bodies use zone" (Part III, 25, Table-2); while area of historical or archaeological importance are placed in "Special Area Use Zone" (Part III, 25, Table-2). Specifically, for the monument, there is no zoning made in the state government Act and rules.

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure-III.**

CHAPTER - V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Survey Plan of Sahasralinga Tank, Bhubaneswar City, District- Khurda, Odisha:

It may be seen at **Annexure-IV**.

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area Details:

- Total Protected Area of the monument is 4367.389 sq.m
- Total Prohibited Area of the monument is 62228.353 sq.m
- Total Regulated Area of the monument is 366489.486 sq.m

Salient features

- East, south-east and south of the Prohibited and Regulated Area are mostly residential. Some public zones are also there like temples, market complexes, etc.
- Ananta Basudeva Temple and Bindu Sagar Lake is situated in the north side of the tank and on the west and south west corner of this tank, Lingaraj Temple is situated.

- Also, city roads, cart tracks, footpaths are present all around the Prohibited and Regulated Area of the monument.

5.1.2 Description of built up area:

Prohibited Area

- **North:** Commercial buildings like matrimonial center, dharamshala are situated in the north direction. Shukuteswara Temple, Tirtheswara Temple, concrete road (Ganga Jamuna road), cart road, some residential buildings, transformer and 11Kv power lines with poles are also present in this direction.
- **South:** Lingaraj Temple complex is situated at the south-west corner of the Sahasralinga Tank. There is a metalled road named Giani Zail Singh Road, car parking for Lingaraj Temple, guard wall, Lingaraj Temple office, Lingaraj Police Station, markets, residential buildings, temples and 240Volt power line are present in the southern direction.
- **East:** At the North-East side of the tank, Ganga Jamuna Temple and pond, a market complex, residential buildings are situated in this direction. Along the east side there is Moharana lane which is a metalled road and also 240Volt power lines with poles are present.
- **West:** Lingaraj Temple complex is situated in the west and south-west side of the tank, a concrete road (Bindu Sagar Road) which is connecting to a metalled road (Rath Road) with masonry drain and 11Kv power lines with poles are also present in this direction.

Regulated Area

- **North:** Ananta Basudeva Temple and Bindu Sagar pond are situated in the northern side of the tank. A concrete road with masonry drain, 240-volt power line, hume pipe culvert 0.5m and a drain is going from north to east direction, some residential buildings, temple and market complex can be seen in the north-west and north-east direction of the monument.
- **South:** Residential buildings and markets, schools and temples are present in this direction.
- **East:** Mainly used as residential area. Metalled road with masonry drain, well, telephone tower is also situated in the eastern side of the tank.
- **West:** The Lingaraj Temple complex lies towards the west and south-west side of Sahasralinga Temple. B.M. High school, BMC Medical, Papanasini Temple and pond, a metalled road with masonry road, power line with poles are also present in this direction.

5.1.3 Description of green/open spaces

Prohibited Area

- **North:** In the northern direction of the Sahasralinga Tank, few open green spaces with trees like park, lawn, etc are present.
- **South:** Few open spaces are located in this direction. The area is covered with residential buildings, markets, temples and police station.

- **East:** Few open spaces are present alongside Sahasralinga Tank.
- **West:** Some open spaces, covered with trees are present.

Regulated Area

- **North:** This is a low lying area, swampy in nature with depression in the north-east direction of the monument. Bindu Sagar pond is situated in the northern side of the monument.
- **South:** Few open spaces with trees and vacant land are situated in this direction.
- **East:** Few green patches are present in this direction as it is almost covered with residential modern buildings, markets and temples. In the north-east direction, swampy area is situated.
- **West:** Green patches and open spaces with trees can hardly be seen in this direction.

5.1.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.

In both the Prohibited and Regulated limits of the monument, few metalled road, cart track, foot path are present. Apart from this, many road intersections such as Lingaraj Road and Giani Zail Singh Road are present. Moreover, pathways are present inside the protected boundary of the monument.

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise)

- **North:** The maximum height is 10 m.
- **South:** The maximum height is 12 m.
- **East:** The maximum height is 12 m.
- **South- West:** The maximum height is 7 m.

5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There are other temples present in Prohibited and Regulated Area which include Bhavanisankara Temple, Sukhmesvara Temple, Svarnajalesvara Temple, Mohini Temple and Markandesvara Temple.

5.1.7 Public amenities:

Well, bore well and pathways are available at the precinct. No toilet block is available inside the monument for visitors.

5.1.8 Access to monument:

The monument is accessible by a metalled road (Giani Zail Singh road) and it can be reached upto the main gate by the road.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Infrastructure facilities like, water supply and water drainage are present.

5.1.10 Proposed zoning of the area:

Zoning is mentioned as per the:

i. Bhubaneswar Development Authority (Planning and building Standards), Regulations -2008
ii. Town Planning &Improvement Trust Act, 1956
iii. Odisha Development Authority Act, 1982.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.0 Architectural, historical and archaeological value:

It is called Sahasralinga Tank or Tank of a thousand *lingas*. It is also called Devipadahara. Originally, there were numerous small *pidha* temples, on its four sides. Each has in its center enshrining a *linga*. At present, there are seventy-seven miniature temples in good state of preservation, of which, only five *lingas* have been under worship. The tank has flight of steps all around and built for the ritualistic purpose of Lord Lingaraja. It is ascribed to eleventh - twelfth century CE.

6.1 Sensitivity of the monuments (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

Urban development including concrete roads and new construction can be seen around the monument.

6.2 Visibility from the Protected Monuments or Area and visibility from Regulated Area:

It is clearly visible from the protected monument from all the sides as in the recent past all the encroachments surrounding the monument are cleared and it is partly visible from the south - west side of the Regulated Area.

6.3 Land-use to be identified:

The area near the temple precinct is mostly residential and commercial. Many public and religious structures are present in close vicinity of the monument.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

The temples present in Prohibited and Regulated Area of the monument are Ganga Jamuna Temple, Shukutesvara Temple, Tirthesvara Temple, Bindu Sagar lake and Maitresvara Temple.

6.5 Cultural landscapes:

Sahasralinga Tank is used for some rituals of Lingaraj Temple. Bindu Sagar lake is also situated in the Regulated Area which is surrounded by many temples.

6.6 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monuments from environmental pollution:

Bindu Sagar lake, in the Regulated Area of the monument is under the BMC limits and several proposals have been identified for the re-development of the perimeter area of the lake – through paved walkway, illumination, compound wall/fencing, access control and landscaping.

6.7 Usage of open space and constructions:

Most of the residential, commercial and institutional buildings are situated in the Regulated Area. Many temples and some public buildings (matrimonial centre) are present in the Prohibited Area.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

Many religious activities and rituals of Lingaraj Temple are performed here as this tank is situated only 10m away from the Lingaraj Temple.

6.9 Skyline as visible from the monuments and from Regulated Areas:

Skyline is visible from the monument and partly visible from the Regulated Area.

6.10 Traditional Architecture:

No traditional architecture exists.

6.11 Developmental plan, as available, by the local authorities:

It may be seen at **Annexure-V**.

6.12 Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc): The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 7m.

(b) Floor area: FAR will be as per local building bye-laws.

(c) Usage: As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d) Façade design: French doors and large glass façades along the front street or along staircase shafts will not be permitted.

(e) Roof design: Sloping roof design may be followed.

(f) Building material: -

- Consistency in materials and color along all street façades of the monument.
- Modern materials such as aluminum cladding, glass bricks, and any other synthetic tiles or materials will not be permitted for exterior finishes.
- Traditional materials such as brick and stone should be used.

(g) Colour: The exterior colour must be of a neutral tone in harmony with the monuments.

6.12 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, toilets, interpretation centre, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual centre, ramp, wi-fi and braille should be available at site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations.

a) Setbacks

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

- LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently abled persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines

अनुलग्नक

ANNEXURES

अनुलग्नक - I

ANNEXURE - I

सहस्रलिंग टैंक, भुवनेश्वर शहर, जिला-खुर्दा, ओडिशा, सर्वेक्षण प्लॉट सं. 719 की संरक्षित चारदीवारी

Protected boundary of Sahasralinga Tank, Bhubaneswar City, District – Khurda, Odisha, Survey Plot No. 719

यह स्मारक वर्ष 1945 में राजपत्र अधिसूचना सं. 35/6/85-एम दिनांक 18 जून 1945 के तहत सहस्रलिंग टैंक के नाम से संरक्षित था

This monument was protected in 1945 by the name of Sahasralinga tank, vides Gazzette notification no. 35/6/85-M, dated 18th June, 1945

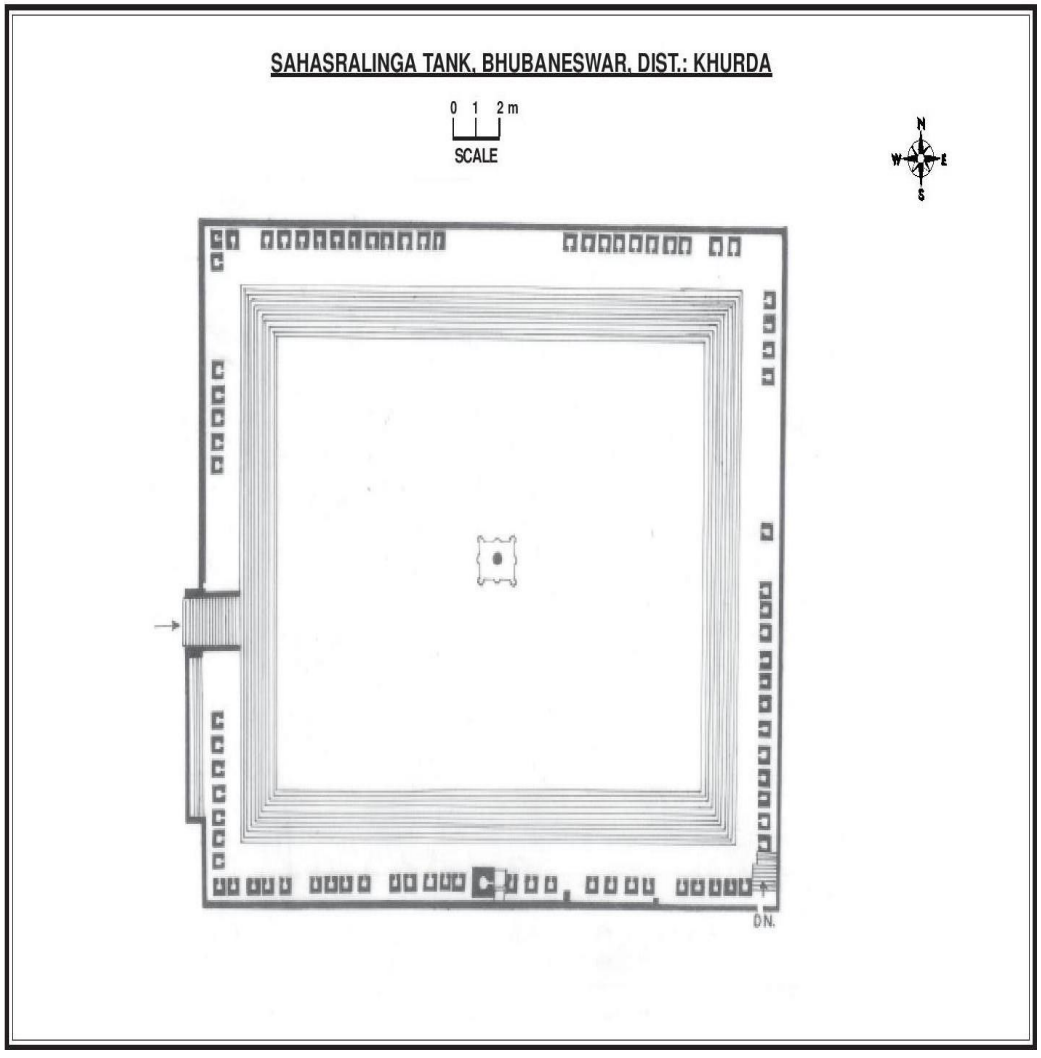

अनुलग्नक - II

ANNEXURE – II

स्मारक की अधिसूचना

यह स्मारक वर्ष 1945 में राजपत्र अधिसूचना सं. 35/6/85-एम दिनांक 18 जून 1945 के तहत सहस्रलिंग टैंक के नाम से संरक्षित था। स्मारक सर्वे भू-खंड सं. 719, क्षेत्रफल - 1.098 एकड़ में स्थित

This monument was protected in 1945 vide notification no. 35/6/85-M, dated 18th June, 1945. The monument lies in survey plot no.719, area-1.098 acre

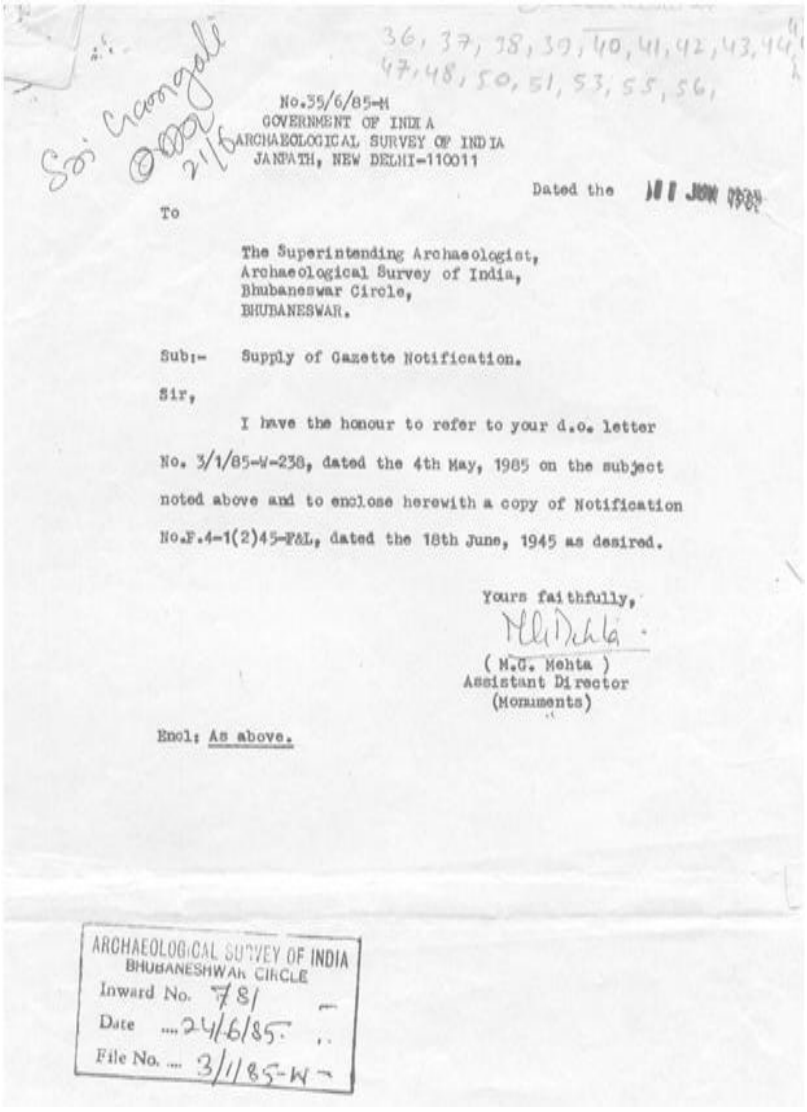

No.35/6/85-M
GOVERNMENT OF INDIA
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
JANPATH, NEW DELHI-110011

Dated the 18 JUN 1985

To

The Superintending Archaeologist,
Archaeological Survey of India,
Bhubaneswar Circle,
BHUBANESWAR.

Sub:- Supply of Gazette Notification.

Sir,

I have the honour to refer to your d.o. letter No. 3/1/85-W-238, dated the 4th May, 1985 on the subject noted above and to enclose herewith a copy of Notification No.F.4-1(2)45-P&L, dated the 18th June, 1945 as desired.

Yours faithfully,

(M.G. Mehta)
Assistant Director
(Monuments)

Encl: As above.

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
BHUBANESHWAR CIRCLE
Inward No. 781
Date 24/6/85
File No. 3/1/85-W

मूल अधिसूचना की टंकण की गयी प्रति

सं. 35/6/85-एम

भारत सरकार

भारतीय पुरातत्व सर्वक्षण

दिनांक 18 जून 1945

सेवा में

अधीक्षण पुरातत्व वैज्ञानिक,
भारतीय पुरातत्व सर्वक्षण, भुवनेश्वर अंचल,
भुवनेश्वर।

विषय:- राजपत्र अधिसूचना उपलब्ध कराना।

महोदय,

मैं ऊपर उल्लिखित विषय पर 4 मई, 1985 के आपके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 3/1/85-डब्ल्यू-238 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है और मैं एतद्द्वारा यथा वांछित अधिसूचना संख्या एफ.4-1(2)45-एफएंडएल, दिनांक 18 जून 1945 की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

भवदीय,

(एम जी मेहता)
सहायक निदेशक
(संस्मारक)

Typed copy of Original Notification
No. 35 /6 / 85 – M

Government of India
Archaeological Survey of India
Janpath, New Delhi-110011

Dated: 18th June,
1945 To

The Superintending
Archaeologist, Archaeological
Survey of India, Bhubaneswar
Circle, BHUBANESWAR.

Sub: - Supply of Gazetted Notification.

Sir,

I have the honour to refer to your d.o. letter No. 3/1/85-w-238, dated the 4th May, 1985 on the subject noted above and to enclose here with a copy of Notification No.F.4-1(2)45- F&L, dated the 18th June, 1945 as desired.

Yours Faithfully

(M.G.Mehta)

Assistant Director
(Monuments)

	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bhubaneswar	Parsurameswar Temple	816	Survey plot No.578/3386 Area 0.125 acre.	N.-Mahal of Anabadi of Lord Lingaraj Mahaprabhu S.-Land of Harihar Naik E.-Land of Harihar Naik W.- Mahal Anabadi of Lord Lingraj Mahaprabhu	Lord Lingraj Mahaprabhu Mft. Trustees of the said temple.	
	Do	Maitreswar temple with all the minor temples in the compound	832	Survey Plot No.1171. Area 0.223 acre.	N.- Public Path S.-Papancsini Kunda E.-Land of Bharat Nath. W.-Public Road	DO	
	Do	Sari Temple No.1	825	Survey plot No.815 Area 0.038 acre	N.-Land of Sachidananda Saraswati. S.-Land Anabadi & land of Swami Krupananda Saraswati and Anabadi of Lord Lingaraj E.-Bhabanisankar temple. W.-Public Road.	Do	
)	Do	Anantha Basudeva temple	789	Survey plot No.537 Area 0.082 acre. Survey plot No.536 Area 0.303 acre.	N.-Land of Sachidananda Saraswati. S.-Land of Sachidananda Saraswati. E.-Mahal Anabadi of Lord Lingaraj W.-Public Road	Do	
o	Basuaghai	Magheswar temple with its minor shrine.	285	Survey plot No. 2- 4 Area 0.014 acre. Survey plot No.3 Area 0.314 acre.	N.- Government land S.-Government land S.-Government land W.- Government land	Raghu Panda & Ratnakar Garabadu.	
o	Bargarh	Bhaskareswar Temple	3	Survey plot No.3548 Area 0.045 acre.	N.-Government land S.-Government land E.-Government land W.-Government land	Government.	
o	Bhubaneswar	Sahasralinga Tank	853	Survey plot No. 719 Area 1.098 acre.	N.-Land of Chaudhury Bamdeb Das and others S.-Mohal Nijch of Lord Lingaraj. E.-Land of Chaudhury Bamdeb Das and others W.-Land of Madhusudan Sahu and others.	Lord Lingraj Mahaprabhu Mft. Trustees of the said temple.	Devipadahav is noted in the settlem Record.
Do	Do	Baital Temple	702	Survey plot No. 1862 Area 1.098 acre.	N.-Land of Madhab Paramguru. S.-Public Road E.-Land of Madhab Paramguru W.-Public Road.	Do	Recorded as Kapaleswari in the settlement record.
Do	Do	Jameswar temple with its minor shrine	806	Survey plot No. 1685 Area 0.067 acre. Survey plot No. 1686 Area 0.412 acre	N.- Public Road S.-Land of Sudarshan Bharthi. E.-Public Road W.-Public Road	Sudarsan Bharathi	

Simla, the 18th June, 1945

No.F.4-1(2)/45- F & L.- In exercise of the powers conferred by sub-section(1)of section 3 of the Ancient Monuments Preservation act 1904 (VII of 1904), the Central Government is pleased to declare the ancient monuments described in the annexed schedule to be protected monuments within the meaning of the said Act.

SCHEDULE

District	Locality	Name of monument	Khatalatest No.	Survey Plot No. and area	Boundaries	Ownership	Remarks
Khurda (Puri)	Bhubaneswar	Sahasralinga Tank	853	Survey plot No.719 Area: 1.098 acre. Survey plot No. 536 Area:0.303a cre.	N-Land of Chaudhury Bamdeb Das and others S- Mohal Nijch of Lord Lingaraj. E-Land of Chaudhury Bamdeb Das and others W-Land of Madhusudan Das and others	Lord Lingaraj Mahaprabhu Mft.Trustees of the said temple.	Devipada hara is noted in the settlemen t Records
Khurda (Puri)	Bhubaneswar	Bottal Temple	702	Survey plot No.1862 Area: 1.098 acre. Survey plot No.3	N- Land of Madhah Paramguru. S- Public Road E- Land of Madhah	Lord Lingaraj Mahaprabhu Mft.Trustees of the said temple.	

District	Locality	Name of monument	Khatalatest No.	Survey Plot No. and area	Boundaries	Ownership	Remarks
				Area: 0.314 acre.	Paramguru. W-Public Road		
Puri	Bhubaneswar	Jameswar temple with it‟s minor Shrine	806	Survey plot No.1685 Area: 0.067 acre.	N- Public Road S- Land of Sudarshan Bharthi E- Public Road W- Public Road	Sudarshan Bharthi	

अनुलग्नक - III

स्थानीय निकाय दिशानिर्देश

निर्माण के लिए सामान्य नियम और दिशानिर्देश भुवनेश्वर विकास क्षेत्र, 2030 में विनिर्दिष्ट हैं

1. नए निर्माण, इमारत के चारो ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेट बैक) के लिए विनियमित क्षेत्र के अनुमेय भूमि आवृत्त, तल क्षेत्र अनुपात/ तल स्थान अनुपात और ऊंचाई

निर्माण के सामान्य नियम सभी विकास योजनाओं के लिए 'भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (योजना एवं भवन मानदंड) विनियम-2008' के अनुसार लागू होंगे। 'बीडीए (पी एंड बीएस) विनियम 2008 और उक्त विनियमन (वर्ष 2013 में संशोधित)' के विनियमन 33 (1) के अनुसार, निम्नलिखित प्रावधान आवासीय, व्यावसायिक, कॉर्पोरेट, आईटी/ आईटीईएस भवनों के लिए तल क्षेत्र अनुपात के लिए निम्नानुसार लागू किए जाते हैं।

तालिका 1 : सड़क चौड़ाई के अनुसार तल क्षेत्र अनुपात

सड़क चौड़ाई मीटर में	व्यावसायिक/आवासीय भवन के लिए तल क्षेत्र अनुपात	आईटी/आईटीईएस/कॉरपोरेट भवनों के लिए तल क्षेत्र अनुपात
6 तक	1.00	-
6 या उससे अधिक और 9 से कम	1.50	-
9 या उससे अधिक और 12 से कम	1.75	-
12 या उससे अधिक और 15 से कम	2.00	2.00
15 या उससे अधिक और 18 से कम	2.25	2.25
18 या उससे अधिक और 30 से कम	2.50	2.50
30 और उससे अधिक	2.75	2.75

बीडीए (पी एंड बीएस) विनियम-2008 के विनियमन के भाग VII (58) के अनुसार, बहुमंजिला भवन के - निर्माण पर प्रतिबंध के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू किए गए हैं।

1. भुवनेश्वर, कपिलेश्वर, राजरानी और धौली, मुकुंद प्रसाद और गड़ाखुर्द जैसे गांवों में बहु-मंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहु मंजिला भवन निर्माण के निषेध के लिए प्राधिकरण समय-समय पर कोई अन्य क्षेत्र शामिल कर सकता है।

2. प्राधिकरण सरकार से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपलब्ध बुनियादी ढांचे और योजना की जरूरतों के उद्देश्यपरक मूल्यांकन के आधार पर किसी अन्य क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को प्रतिबंधित कर सकता है।

3. इन विनियमों को शुरू करने से पहले, जहां सशर्त रूप से अनुमति दी गई है, और ऐसे मामलों को इन विनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत बिना किसी बड़े बदलाव के, या निर्माण को हटाए बिना निपटा जाएगा बशर्ते कि जहां विरासत क्षेत्र की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, यह छूट लागू नहीं होगी।

4. किसी भी बहु-मंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी:

   क. 18 मीटर से कम चौड़ाई वाली संपर्क सड़क (एप्रोच रोड) के साथ,

   ख. 2000 वर्गमीटर से कम आकार के भूखंड पर।

   इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (**सेटबैक**) **और खुले स्थान** के लिए, विनियमन के भाग IV ((32 और 31 के अनुसार, **इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र** (सेटबैक) और खुला स्थान नीचे वर्णित हैं;

तालिका 2 : भूखंड का आकार, अनुमेय सेटबैक और भवनों की ऊँचाई

भूखंड का आकार (वर्ग मी. में)	**भवन की अधिकतम अनुमेय ऊंचाई (मी. में)**	**सामने का न्यूनतम सेटबैक (मी. में) सीमावर्ती सड़क की चौड़ाई के अनुसार**					**दूसरी तरफ न्यूनतम सेटबैक (मीटर में)**	
		9 मी. से कम	**9 मी. और 12 मी. से कम**	**12 मी. और 18 मी. से कम**	**18 मी. और 30 मी. से कम**	**30 मी. से अधिक**	**पीछे का भाग**	**अन्य भाग**
[1]	**[2]**	**[3(क)]**	**[3(ख)]**	**[3(ग)]**	**[3(घ)]**	**[3(ङ[)]**	**[4]**	**[5]**
100 से कम	7	1.5	2.0	2.5	3.0	4.5	1.0	-
100 और 200 तक	10						1.5	1.5
200 से अधिक	10						2.0	1.5

और 300 तक								
300 से अधिक और 400 तक	12	1.5	2.0	3.0	3.0	4.5	2.5	1.5
400 से अधिक और 500 तक	12						3	2
500 से अधिक और 750 तक	15	1.5	2.0	3.0	4.0	4.5	3	3
750 से अधिक	15						4	4

बीडीए (पी एंड बीएस) विनियमन 2008 के विनियमन 43 (3) के अनुसार पार्किंग सुविधा के लिए विनिर्देश को नीचे दिए गए अनुसार निर्दिष्ट किया गया है;

तालिका 3 : अधिभोग (आक्यूपेंसिज) की विभिन्न श्रेणियों के लिए

ऑफ स्ट्रीट (सड़क से परे) पार्किंग स्थल

क्र. सं.	**भवन/कार्यकलाप की श्रेणी**	**कुल निर्मित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में प्रदान किया जाने वाला पार्किंग क्षेत्र (वर्गमीटर)**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स/सिनेप्लेक्स, रिटेल शॉपिंग सेंटर, आईटी/आईटीईएस कॉम्प्लेक्स और होटल सहित शॉपिंग मॉल	60
2.	रेस्तरां, लॉज, अन्य वाणिज्यिक भवन, विधानसभा भवन, कार्यालय और गगनचुंबी इमारतें	40
3.	आवासीय अपार्टमेंट इमारतें, नर्सिंग होम, अस्पताल, संस्थागत और औद्योगिक भवन	30

2. स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध धरोहर उप-विधियां /विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो।

भुवनेश्वर शहर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों/विरासत के लिए कोई विशिष्ट उप-नियम तैयार नहीं किए गए हैं।

अ. बीडीए (पीएंडबीएस) विनियम-2008 के विनियम के भाग II (17) के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सवेक्षण और राज्य सरकार के विरासत भवनों और स्मारकों के कार्यों की देखरेख करने हेतु "कला आयोग" गठित करने का प्रावधान किया गया था।

ब. बीडीए (पीएंडबीएस) विनियम-2008 के विनियम के भाग II (18) के अनुसार, संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण के लिए निम्नलिखित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्रावधान लागू किए गए हैं।

क. इस विनियम के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि किसी भवन का निर्माण या पुन:निर्माण एक घोषित संरक्षित स्मारक की बाहरी सीमा से 100 मीटर या ऐसी किसी अन्य अधिक दूरी, जैसी

समय-समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और ओडिशा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा तय की जाए, के घेरे के अंदर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी [भाग II (18-1)]।

ख. इसी विनियम में ऐसे स्मारकों की 300 मीटर दूरी के घेरे के अंदर तथा 100 मीटर के घेरे से आगे, प्रथम तल से अधिक (7 मीटर से ऊपर) किसी निर्माण को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी [भाग II (18-2)(i)]।

ग. ऊपर दिए उप-विनियमन (1) और (2) में शामिल किसी कथन के बावजूद, एएसआई/राज्य पुरातत्व विभाग, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति (क्लियरेंस) प्राप्त कर लेने के बाद ही, किसी निर्माण/पुन:निर्माण/बदलाव/जुड़ाव को करने की अनुमति दी जाएगी।

3. खुले स्थान

विनियम के भाग III (31) के अनुसार,

क. **सांस्थानिक भवनों**, **शिक्षण भवन और खतरनाक उद्योग** - भवन के इर्द-गिर्द खुले स्थानों को 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

ख. **सभा भवन -** सामने की ओर का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और अन्य भवन के लिए 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

ग. **व्यावसायिक एवं भंडारण भवन -** 500 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक के भूखंडों के मामले में**,** भवन के चारों तरफ खुला स्थान 4.5 मीटर से कम न होने का उल्लेख किया गया है।

घ. **औद्योगिक भवन -** औद्योगिक भवन के मामले में**,** 15 मीटर की ऊंचाई तक**,** खुला स्थान 4.5 मीटर से कम न हो**,** ऊंचाई में 1 मीटर के अंश की प्रत्येक बढ़त के साथ 0.25 मीटर की चौड़ाई में वृद्धि रखने का उल्लेख किया गया है।

ङ. **आईटी/आईटीईएस और अन्य कार्पोरेट भवन -** 750 वर्गमीटर तक की माप के प्लॉट के मामले में**,** भवन के चारों ओर निर्माण संबंधी न्यूनतम कंपन (सैटबैक) का प्रभाव 3 मीटर की दूरी से कम अंतर पर न रहने का उल्लेख किया गया है। 750 वर्गमीटर से अधिक माप के प्लॉट के मामले में**,** भवनों के आस-पास निर्माण संबंधी कंपन का प्रभाव न्यूनतम 4.5 मीटर की दूरी से कम अंतर पर न पड़ने देने का उल्लेख किया गया है।

तालिका-4 : भवन के चारों ओर वाह्य खुले स्थानों का प्रावधान

क्र. सं.	भवन की ऊंचाई (मीटर में)	सभी ओर छोड़े जाने वाले बाहरी खुले स्थान मीटर में (प्रत्येक प्लॉट के सामने, पीछे और साइडों में)
1.	15 और उससे अधिक 18 तक	6
2.	18 से अधिक और 21 तक	7
3.	21 से अधिक और 24 तक	8
4.	24 से अधिक और 27 तक	9
5.	27 से अधिक और 30 तक	10
6.	30 से अधिक और 35 तक	11
7.	35 से अधिक और 40 तक	12
8.	40 से अधिक और 45 तक	13
9.	45 से अधिक और 50 तक	14
10.	55 से अधिक ऊंचाई	15

4 प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में आवागमन - सड़क की ऊपरी सतह, पैदल यात्री मार्ग, मोटर रहित परिवहन आदि।

सहस्रलिंग सरोवर के चारों तरफ का इलाका पक्की सड़कों एवं कार्ट ट्रैक सड़कों से आवृत्त किया गया है। चूंकि यह एक शहरी क्षेत्र है, इसलिए परिवहन का मुख्य साधन लोगों के निजी वाहन जैसे मोटरसाइकिलें, स्कूटर, साइकिल, कारें, जीप, ऑटोरिक्शा, बसें आदि हैं। संरक्षित क्षेत्र में केवल पैदल चलने वाले लोगों को ही जाने की अनुमति है।

तथापि, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने विनियम 2008 के भाग II (29) के अनुसार कुछ नियम भी तैयार किए हैं जो निम्नानुसार हैं :

(1) हर भवन/प्लॉट में भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) 2005 के खंड 4, भाग-3 में यथाविनिर्दिष्ट चौड़ाई की समान विधिवत बनाई गई गलियों/सड़कों जैसी पहुंच के सार्वजनिक/निजी आवाजाही के साधनों का प्रबंध किया जाना होगा।

(2) किसी भी परिस्थिति में प्लॉटों के विकास को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इसके पास इस तक पहुंचने के सार्वजनिक/निजी गलियारों की चौड़ाई 6 मीटर से कम न हो।

(3) संस्थानिक, प्रशासनिक, सभा, औद्योगिक और अन्य गैर आवासीय तथा गैर-व्यावसायिक कार्यकलापों के मामले में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी।

5 गलियां, अग्रभित्ति एवं नव निर्माण

उपर्युक्त अधिनियम और विनियम में अग्रभागों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, स्ट्रीटस्केप्स और नए निर्माण के लिए उपर्युक्त बिंदु में ब्यौरे का उल्लेख किया गया है।

ANNEXURE – III

LOCAL BODIES GUIDELINES

The general rules and guidelines for construction are specified in Bhubaneswar Development Area, 2030

1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the Regulated area for new construction, Set Backs.

The General rules of construction shall be applicable for all development schemes as per „ Bhubaneswar Development Authority (Planning & Building Standards) Regulation - 2008‟. As per Regulation 33(1) of the „BDA (P&BS) Regulations 2008 and same regulation (amended 2013)‟, the following provisions are made applicable for Floor Area Ratio for residential, commercial, corporate, IT/ITES buildings as below:

Road width in meter	FAR for commercial/ residential buildings	FAR for IT/ITES/ Corporate buildings
Upto 6	1.00	-
6 or more & less than 9	1.50	-
9 or more & less than 12	1.75	-
12 or more & less than 15	2.00	2.00
15 or more & less than 18	2.25	2.25
18 or more & less than 30	2.50	2.50
30 & above	2.75	2.75

Table 1: FAR as per road width

According to the part VII (58) of the Regulation of the BDA (P&BS) Regulations - 2008, the following provisions are made applicable for Restriction on Construction of Multi-storied buildings.

1. Construction of multi-storied building shall not be permitted in villages namely Bhubaneswar, Kapileswar, Rajarani and Dhauli, Mukunda Prasad & Gadakhurda. The Authority may include any other areas for prohibition of multi storied building form time to time.
2. The Authority may restrict construction of multi-storeyed buildings in any other area on the basis of objective assessment of the available infrastructure and planning needs after obtaining due approval of the Government.
3. Before commencement of these regulations, where permission has been granted conditionally, and such cases shall be dealt with under corresponding provisions of these

Regulations without any major change, or removal of construction, subject to the condition where violation of Heritage Zone conditions has occurred, this relaxation shall not apply.

4. No multi-storied building shall be allowed to be constructed:
    a. With approach road less than 18 m width,
    b. On plot the size less than 2000 sq m.

For **Setback And Open Spaces**, as per part IV (31 and 32) of the Regulation, the Setbacks and Open spaces are described as

Table 2: Plot size, permissible setbacks and height of buildings

Plot size (In sq. m.)	**Maximum Height of building permissible (in m.)**	**Minimum front setback (in m.) As per the abutting road width**					**Minimum Setbacks on other sides (In m.)**	
		Less than 9 m.	**9 m. and below 12 m.**	**12m. less than 18m.**	**18 m.& less than 30 m.**	**Above 30 m.**	**Rear side**	**Other Side**
[1]	**[2]**	**[3(a)]**	**[3(b)]**	**[3(c)]**	**[3(d)]**	**[3(e)]**	**[4]**	**[5]**
Less than 100	7	1.5	2.0	2.5	3.0	4.5	1.0	-
100& up to 200	10						1.5	1.5
Above 200& up to 300	10						2.0	1.5
Above 300 & Up to 400	12	1.5	2.0	3.0	3.0	4.5	2.5	1.5
Above 400& Up to 500	12						3	2
Above 500& Up to 750	15	1.5	2.0	3.0	4.0	4.5	3	3
Above 750	15						4	4

Specification for Parking Facility as per Regulation 43(3) of the BDA (P & BS) Regulation 2008, the specification for parking has been specified as below:

Table 3: Off street parking space for different category of occupancies

Sl. No.	Category of building/activity	Parking area to be provided as percentage of total built up area (sq m.)
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Shopping malls, shopping malls with Multiplexes/ Cineplex's, Retail shopping centre, IT/ITES complexes and hotel".	60
2.	Restaurants, Lodges, Other commercial buildings, Assembly buildings, Offices and High rise buildings	40
3.	Residential apartment buildings, Nursing Home, Hospital, Institutional and Industrial buildings	30

Heritage byelaws/ regulations/ guidelines if any available with local Bodies:

No specific bye laws are prepared for the ASI monuments/heritage of the Bhubaneswar city.

A. According to the Part II (17) of Regulation of the BDA (P&BS) Regulations - 2008, a provision was made to constitute an "Art Commission" to look after the affairs of the heritage building and the monuments of ASI and State government.

B. **It is stated in the Part II (18) of Regulation of the BDA (P&BS) Regulations - 20**08, the following ASI provisions are made applicable for the construction near Protected Monuments:

a. No construction or re-construction of any building, within a radius of 100 meters, or such other higher distance from any archaeological site, as may be decided by the Archaeological Survey of India and Odisha State Archaeology department from time to time, from the outer boundary of a declared protected monument shall be permitted according to Part II, section 18(1) -

b. No construction above 1st floor and above 7 m shall be allowed beyond a radius of 100 meters and within a radius of 300 meters of such monuments, as per Part II, section 18(2)(i)_

c. Notwithstanding anything contained in the sub-regulation (1) & (2) above, construction/re-construction/addition/alteration shall be allowed on production of clearance from ASI/State Archaeology Department as the case may be.

3. Open spaces.

As per Part III (31) of the regulation, for the:

a. **Institutional buildings, Educational buildings and Hazardous occupancies -** the open spaces around the building should not be less than 6 m.

b. **Assembly building -** the open spaces in front should not less than 12 meter and for other building it should not be less than 6 m.
c. **Commercial & Storage buildings -** In case of plots with more than 500 sq. m. the open space around the building is mentioned, not less than 4.5 m.
d. **Industrial buildings -** In case of industrial building, open space not less than 4.5 m for heights up to 15 m, width and increase of 0.25 m for every increase of 1 m of fraction thereof in height.
e. **IT/ITES and other Corporate Buildings -**In the case of plot up to 750 sq m the minimum setbacks around the building not less than 3m. In case of plot above 750 sq m the minimum setbacks around the buildings is mentioned, not less than 4.5 m.

Table 4: Provision of exterior open spaces around the buildings

Sl. No.	Height of the building (in m.)	Exterior open spaces to be left out on all side in m. (front, rear and sides in each plot)
1.	15 and above up to 18	6
2.	More than 18 & up to 21	7
3.	More than 21& up to 24	8
4.	More than 24 & up to 27	9
5.	More than 27& up to 30	10
6.	More than 30 & up to 35	11
7.	More than 35 & up to 40	12
8.	More than 40& up to 45	13
9.	More than 45& up to 55	14
10.	More than 55	15

4. Mobility within the Prohibited and Regulated area –Roads facing, Pedestrian Ways, non – motorised Transport etc.

The surrounding area of the Sahasralinga tank is covered with metalled road & cart track. Since it is a city area, the primary mode of transportation is by personalised mode i.e. by motorcycles, scooters, bicycles, cars, jeeps, auto-rickshaws, buses, etc. The protected area is allowed only for pedestrians. However, the Bhubaneswar Development Authority (BDA) has also prepared some rules as per part II (29) of Regulations 2008, as below:

(1) Every building/ plot shall abut a public/ private means of access like streets/roads of duly formed of width as specified in clause 4, Part – 3 of National Building Code of India (NBC) 2005.
(2) In no case, development of plots shall be permitted unless it is accessible by a public/private

street of width not less than 6m.

(3) In case of institutional, administrative, assembly, industrial and other non-residential and non-commercial activities, the minimum road width shall be 12m.

5. Streetscapes, Facades and New construction

There is no specific account made in the above said act and regulations regarding facades. However for streetscape and new construction, the details are already stated in the above paras.

अनुलग्नक - IV

ANNEXURE – IV

स्मारक की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of the Monument

ANNEXURE – V

अनुलग्नक - V

स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना

Development plan as available by the local authorities

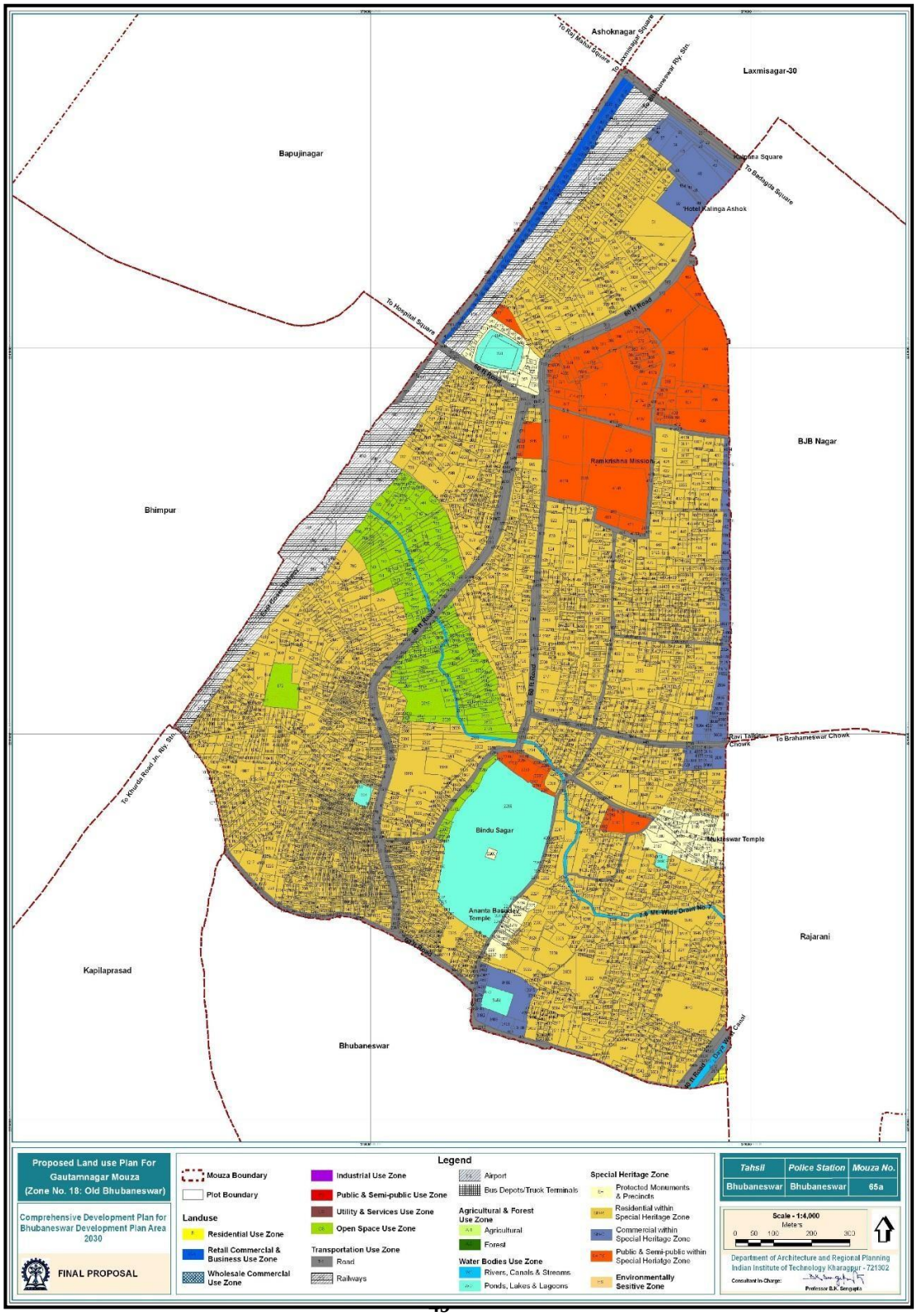

अनुलग्नक - VI

ANNEXURE – VI

स्मारक और इसके आसपास के क्षेत्रों के चित्र

Images of the Monument and its surroundings

चित्र 1: सहस्रलिंग सरोवर

Plate 1: The Sahasralinga Tank

चित्र 2: सहस्रलिंग सरोवर, छोटे मंदिर के भग्न अवशेष को दर्शाते हुए चित्र

Plate 2: The Sahasralinga Tank, showing broken remain of the miniature temple

चित्र 3 : सहस्रलिंग सरोवर, छोटे मंदिर को दर्शाते हुए चित्र

Plate 3: The Sahasralinga Tank, showing miniature temple shrine